अध्यक्ष महोदय एवं माननीय सदस्यगण,

1. मैं वर्ष 2010 के प्रथम तथा ग्यारहवीं विधानसभा के आठवें अधिवेशन के अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनन्दन करती हूॅ। मैं आप लोगों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के लोगों को खुशहाल एवं समृद्ध वर्ष 2010 की शुभकामनाएं देती हूॅ। राज्यपाल का पदभार सम्भालने के बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा के इस सम्माननीय सदन को सम्बोधित करना मेरे लिए गौरव की बात है। इस पर्वतीय राज्य का कार्यभार सम्भालना मेरे लिए सौभाग्य की बात है जो अपने प्राकृतिक सौन्दर्य तथा विकास के उच्च मानकों के साथ–साथ लोगों के सराहनीय चरित्र के लिए भी विख्यात है।

2. मेरी सरकार सर्वांगीण विकास तथा लोगों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है तथा यह विकासात्मक कार्यक्रमों के कारगर कार्यान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। सरकार विशेष उप–योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन–जाति, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए विभिन्न विकासात्मक योजनाओं को कार्यान्वित करने पर विशेष बल दे रही है। महिला सशक्तिकरण तथा बाल कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने स्वरोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित करने तथा किसानों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए **'पंडित दीन दयाल किसान–बागवान समृद्धि योजना'** तथा **'दूध गंगा योजना'** जैसी नई योजनाएं आरम्भ की हैं। सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित बनाने के लिए निष्ठापूर्वक प्रयास कर रही है जिसके परिणामस्वरूप प्रदेश की आर्थिकी में वर्ष 2008–09 में 7.4 प्रतिशत वृद्धि दर दर्ज की गई है। वर्ष 2008–09 के 2400 करोड़

रुपये के योजना आकार की तुलना में वर्ष 2009–10 के लिए योजना आकार को 2700 करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया है तथा सामाजिक सेवा क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई जो कि कुल योजना आकार का 32.30 प्रतिशत है। मेरी सरकार ने अतिरिक्त वित्त संसाधन सृजित करने के लिए कारगर कदम उठाए हैं तथा सरकार **'सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, स्वावलम्बन तथा स्वाभिमान'** के मिशन को प्राप्त करने के प्रति वचनबद्ध है।

3. वर्ष 2009–10 के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इण्डिया टुडे ने हिमाचल प्रदेश को शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश तथा मैक्रो इकॉनोमी में **'स्टेट ऑफ द स्टेट्स अवार्ड'** प्रदान किया। इनके द्वारा प्रदेश को ओवर ऑल परफार्मेंस, पूंजी निवेश तथा मैक्रो इकॉनोमी में **'फास्टेस्ट मूवर स्टेट'** का भी पुरस्कार प्रदान किया गया। आई.बी.एन.–7 तथा आउटलुक द्वारा प्रदेश को महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन, सर्वांगीण उपलब्धियों तथा पर्यावरण संरक्षण एवं हरित आवरण में वृद्धि के लिए **'डायमण्ड स्टेट अवार्ड'** प्रदान किया गया ।

4. मेरी सरकार ने समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए अनेक नीतिगत निर्णय लिए हैं। 2 लाख 67 हजार 288 लाभार्थियों को 330 रुपये प्रतिमाह की दर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है। सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लोगों को आवास निर्माण के लिए आवासीय सब्सिडी प्रदान कर रही है तथा निर्माण अनुदान की राशि को 27,500 रुपये से बढ़ाकर 38,500 रुपये किया गया है तथा मुरम्मत के लिए 12,500 रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये किया गया है। मेरी सरकार ने **'मदर टेरेसा मातृ**

सम्बल योजना' के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता राशि को एक हजार रुपये से बढ़ाकर दो हज़ार रुपये प्रति शिशु किया है तथा इसके लिए पात्रता आय सीमा को भी 11 हजार से बढ़ाकर 18 हज़ार रुपये वार्षिक किया है। इसके अन्तर्गत 10,054 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। मेरी सरकार द्वारा **'मुख्य मंत्री कन्यादान योजना'** के अन्तर्गत सहायता राशि 11,001 रुपये दी जा रही है तथा इसके लिए आय सीमा को भी 7,500 से बढ़ाकर 15 हज़ार रुपये वार्षिक किया गया है। अनुसूचित जाति उप–योजना के अन्तर्गत 668 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं तथा यह आबंटन वर्ष 2008–09 के लिए आबंटित राशि से 12 प्रतिशत अधिक है। एकीकृत बाल विकास योजना के अन्तर्गत प्रदेश में वर्तमान में 18,248 आंगनबाड़ी केन्द्र चल रहे हैं तथा चालू वर्ष के दौरान 138 नए आंगनबाड़ी केन्द्र खोले गए हैं। महिला सशक्तिकरण को मेरी सरकार विशेष ध्यान दे रही है। वर्ष 2009 के दौरान 2012 नए स्वयं सहायता समूह गठित किए गए हैं जिससे प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों की संख्या 25,524 तक पहुंच गई है। इन स्वयं सहायता समूहों द्वारा 1055 लाख रुपये का बैंक ऋण प्राप्त करके 753 लाख रुपये की बचत अर्जित की गई है।

5. स्थानीय शहरी निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनावों में महिलाओं को 50 प्रतिशत पद आरक्षित किये गये हैं। महिलाओं से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान तथा वांछित कार्रवाई को समयावधि के भीतर सुनिश्चित बनाने के लिए प्रत्येक विभाग में महिला अधिकारियों को 'नोडल' अधिकारी बनाया गया है। गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की 10 से 75 वर्ष आयु वर्ग की सभी महिलाओं के लिए **'मातृ शक्ति बीमा योजना'** कार्यान्वित की जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के तहत प्रथम फरवरी 2009 से बीमा राशि को दुर्घटना के कारण मृत्यु, स्थाई अपंगता और पति की मृत्यु की स्थिति में एक लाख रुपये

तथा आंशिक अपंगता की स्थिति में 50 हजार रुपये किया गया है। वर्ष 2009–10 के दौरान 112 मामलों में 95 लाख रुपये जारी किये गये ।

6. अनुसूचित जन जाति के सामाजिक एवं आर्थिक विकास पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। मेरी सरकार अनुसूचित जन जाति उप–योजना के लिए 9 प्रतिशत योजना आबंटन सुनिश्चित बनाने के लिए वचनबद्ध है। चालू वित्त वर्ष 2009–10 के दौरान अनुसूचित जन जाति के कल्याण पर अनुसूचित जन जाति उप–योजना के अन्तर्गत 243 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा रही है। प्रदेश सरकार राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुविधा के लिए अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 को भी कार्यान्वित कर रही है।

7. मेरी सरकार ने कृषि उत्पाद को बढ़ाने तथा किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सरकार ने सूखे की स्थिति के दृष्टिगत वर्ष 2009–10 के रबी मौसम के दौरान सभी प्रकार के बीजों पर 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की है। प्रदेश में 80 प्रतिशत तक उपदान घटक वाली **'पंडित दीन दयाल किसान–बागवान समृद्धि योजना'** को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है। लगभग 4.8 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र को पॉली–हाउस के अन्तर्गत लाया गया है। इस योजना के दूसरे चरण में लगभग 4000 हेक्टेयर क्षेत्र को स्प्रिंकलर/ ड्रिप सिंचाई प्रणाली के अन्तर्गत लाया जाएगा। किसानों को आवश्यक तकनीक एवं उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं ताकि वे इस योजना का पूर्ण लाभ उठा सकें। इससे बेरोजगार युवाओं के लिए स्व–रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हुए हैं। मिट्टी स्वास्थ्य प्रबन्धन के अन्तर्गत किसानों को 1.25 लाख मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं। मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं में आवश्यक उपकरण एवं विशेषज्ञ प्रदान कर सुदृढ़ किया जा रहा है। इसके लिए एक चलित

मृदा जांच प्रयोगशाला की सेवाएं भी ली जा रही हैं। जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए 1.50 लाख वर्मी कम्पोस्ट इकाइयां स्थापित की गई हैं तथा 4000 किसानों को जैविक खेती के लिए पंजीकृत किया गया है। किसानों को गुणात्मक बीज की उपलब्धता सुनिश्चित बनाने के लिए सरकार ने एक वृहद 'बीज ग्राम कार्यक्रम' आरम्भ किया है जिसके अन्तर्गत 900 गांवों तथा 1 लाख 7 हजार 800 किसानों को लाया गया हैं। इसके साथ ही लगभग 21,760 हेक्टेयर क्षेत्र को बीज उत्पादन के अन्तर्गत लाया गया है। वर्ष 1950 से 1960 के दौरान तकावी तथा मृदा सुधार ऋण लेने वाले छोटे तथा सीमान्त किसानों को राहत देने के लिए मेरी सरकार ने 4.96 करोड़ रुपये की ऋण तथा ब्याज राशि को माफ करने का निर्णय लिया है। इससे प्रदेश के 43,854 छोटे तथा सीमान्त किसानों को राहत मिली है । किसान एवं वागवानों को विभिन्न कृषि गतिविधियों के लिये 10 लाख रुपये तक के बैक ऋण पर स्टांप डयूटी में छूट दी गई है ।

8. प्रदेश सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष से सोलन ज़िला की टमाटर तथा कांगड़ा एवं ऊना ज़िलों की आलू की फसल को मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत शामिल किया है। विस्तार सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए कृषि विकास अधिकारियों एवं कृषि विस्तार अधिकारियों के 400 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 295 अधिकारियों को पहले ही नियुक्त किया जा चुका है। शेष पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया जारी है।

9. बागवानी प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या के सामाजिक एवं आर्थिक विकास का मुख्य आधार है तथा बागवानी उत्पाद को विश्व स्तरीय बनाने के लिए कारगर प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने बागवानी विकास गतिविधियों को सुदृढ़ किया है जिसके परिणामस्वरूप प्रदेश में 2.05 लाख हैक्टेयर क्षेत्र बागवानी के अन्तर्गत लाया गया है तथा प्रदेश ने रिकार्ड फल उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त किया

है। प्रत्येक वर्ष लगभग 4000 से 5000 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को बागवानी के अन्तर्गत लाया जा रहा है। प्रदेश की अर्थ–व्यवस्था में बागवानी उद्योग का लगभग दो हजार करोड़ रुपये का वार्षिक योगदान है। सरकार ने राज्य विपणन नीति को सुदृढ़ किया है तथा मण्डी मध्यस्थता योजना के अन्तर्गत खरीदे जा रहे सेब, आम तथा नींबू प्रजाति के फलों के समर्थन मूल्य में 50 पैसे प्रति किलो की वृद्धि की गई है। प्रदेशभर में बागवानी तकनीकी मिशन को अक्तूबर 2003 से सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत अभी तक भारत सरकार से 128.50 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। इस मिशन के अन्तर्गत अभी तक प्रदेश के 1 लाख 2 हजार 199 किसान लाभान्वित हो चुके हैं।

10. 'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना' जैसी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजना के माध्यम से प्रदेश में बागवानी गतिविधियों को और प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत अभी तक 1354 लाख रुपये व्यय किए जा चुके हैं। फल उत्पादन, उनकी गुणवत्ता एवं उत्पादकता बढ़ाने और सेब, नाशपाती, गुठलीदार फलों तथा गिरीदार फलों के जर्मप्लाज़म में सुधार लाने के लिए उनका आयात करके सरकारी नर्सरियों में तैयार किया जा रहा है। प्राकृतिक आपदा के कारण प्रतिवर्ष फसलों को भारी नुकसान होता है। प्रदेश सरकार ने पायलट आधार पर सेब तथा आम के लिए **'मौसम आधारित फसल बीमा योजना'** आरम्भ की है जिसके लिए किसानों को सरकार प्रीमियम के हिस्से के रूप में 50 प्रतिशत सहायता प्रदान कर रही है।

11. पशुधन प्रदेश के किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रदेश में 2133 वेटनरी संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से पशुधन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है। पशुधन में सुधार तथा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए पशुपालन विभाग द्वारा नस्ल सुधार कार्यक्रम कार्यान्वित किया

जा रहा है। इसके अतिरिक्त पशुधन उत्पादन में वृद्धि के प्रति लक्षित विभिन्न गतिविधियां जैसे वेटनरी सेवाएं, टीकाकरण, पशुचारा विकास आदि कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कृषि क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश के मण्डी, सोलन तथा सिरमौर जिलों में 300 करोड रुपये की **'दूध गंगा योजना'** आरम्भ की गई है, जिसके अन्तर्गत व्यक्ति अथवा स्वयं सहायता समूह द्वारा दुधारू पशुओं की खरीद के लिए 3 लाख रुपये तक के ऋण का प्रावधान है। इसमें से 50 प्रतिशत ऋण ब्याजमुक्त है तथा ऋण की समय पर अदायगी की स्थिति में 50 प्रतिशत ब्याज पर उपदान भी दिया जा रहा है। किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमीरपुर तथा शिमला ज़िलों में दुधारू पशु बीमा योजना कार्यान्वित की जा रही है। प्रदेश में भेड़पालकों की स्थिति में सुधार के लिए भेड़पालक बीमा योजना संचालित की जा रही है तथा इस योजना के अन्तर्गत 8993 भेड़पालकों का बीमा किया गया है। आवारा पशुओं को आश्रय प्रदान करने के लिए कांगड़ा ज़िला के खजियां में 175 लाख रुपये की लागत से 600 पशुओं की क्षमता वाले गौसदन का निर्माण किया गया है। प्रदेश के सोलन, हमीरपुर तथा बिलासपुर ज़िलों के पांच गौसदनों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए 187 लाख रुपये उपलब्ध करवाए गए हैं। गौसदनों को स्वावलम्बी बनाने के लिए प्रदेश के 56 गौसदनों में वर्मी कम्पोस्ट गड्ढों के निर्माण के लिए 30 लाख रुपये की राशि उपलब्ध करवाई गई है।

12. दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य सुनिश्चित बनाने के उद्देश्य से दूध के खरीद मूल्य में 4 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। दूध को ग्राम स्तर पर ही तुरन्त शीतलीकरण हेतु प्रदेशभर में 52 बल्क मिल्क कूलर स्थापित किए गए हैं। दुग्ध जांच में पारदर्शिता लाने के लिए ग्राम डेयरी सहकारी समितियों में 6 स्वचलित दुग्ध एकत्रीकरण इकाइयां स्थापित की गई हैं।

13. प्रदेश में मत्स्य पालन को उचित प्राथमिकता दी जा रही है। कारगर विकास प्रयासों के परिणामस्वरूप राज्य के जलाशयों में 538 लाख रुपये मूल्य की 1063 टन मच्छलियों का उत्पादन हुआ जो गत वर्ष इस अवधि के दौरान हुए उत्पादन की तुलना में 99 टन अधिक है। प्रदेश के 6560 मछुआरों को प्रीमियम–मुक्त बीमा कवर प्रदान किया गया है। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान बीमा कवर की सीमा को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया है।

14. मेरी सरकार ने नई सड़कों के निर्माण तथा मौजूदा सड़कों के सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है। प्रदेश में वाहन योग्य सड़कों की कुल लम्बाई 31,328 किलोमीटर है। कुल 17,449 जनगणना गावों में से 9382 गावों को वाहन योग्य सड़कों से जोड़ा जा चुका है। वित्त वर्ष 2009–10 के दौरान 611 किलोमीटर मोटरयोग्य नई सड़कों तथा 32 पुलों का निर्माण पूरा किया गया है तथा 139 गावों को सड़कों से जोड़ा गया है। प्रदेश की कुल 3243 पंचायतों में से 2947 पंचायतों को सड़कों से जोड़ा जा चुका है जबकि 259 पंचायतों को जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उच्च मार्ग है जिनकी कुल लम्बाई 1472 किलोमीटर है। प्रदेश में कुल 890 किलोमीटर लम्बाई के 7 अन्य राज्य मार्गों को राष्ट्रीय उच्च मार्ग घोषित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में 2435 किलोमीटर राज्य उच्च मार्गों के उन्नयन एवं सुधार के लिए 1365 करोड़ रुपये की विश्व बैंक पोषित राज्य सड़क परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। मेरी सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर 145.73 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से होली–उत्तराला सुरंग, 85.75 करोड़ रुपये से करसेहड से तेलंग (भूबू जोत) सुरंग तथा 35.40 करोड़ रुपये की बंगाणा–धनेटा सुरंग का निर्माण करने का निर्णय लिया है। इन सुरंगों के निर्माण से न केवल इन क्षेत्रों में दूरी कम होगी बल्कि इनसे पर्यावरण का संरक्षण भी होगा।

15. मेरी सरकार का प्रयास प्रदेश में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने का है। प्रदेश ने प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक प्रगति की है। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में एक से डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर तथा मैदानी क्षेत्रों में डेढ़ से तीन किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक /प्रारम्भिक पाठशालाएं खुलने से प्रारम्भिक शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच मज़बूत हुई है। वर्तमान में प्रदेश में 10727 प्राथमिक पाठशालाएं तथा 4383 माध्यमिक पाठशालाएं कार्यरत हैं तथा 88 शिक्षा गारंटी योजना/वैकल्पिक नवीन शिक्षा केन्द्र तथा सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत चलित केन्द्र भी घुमन्तु जनसंख्या को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। प्रारम्भिक पाठशालाओं में न्यूनतम तीन कमरों की सुविधा प्रदान की गई है। प्रदेश की सभी राजकीय प्रारम्भिक पाठशालाओं में खेल मैदान, पेयजल तथा शौचालय की सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

16. **'मध्याह्न भोजन योजना'** पूरे प्रदेश में माध्यमिक स्तर तक सन्तोषजनक तरीके से संचालित की जा रही है जिससे प्राथमिक पाठशालाओं के 4 लाख 70 हजार 630 बच्चे तथा अप्पर प्रारम्भिक पाठशालाओं के 3 लाख 39 हजार 604 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। प्रदेश में विकलांग बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं पर भी उचित ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश के चम्बा, मण्डी, शिमला तथा सिरमौर ज़िलों के शैक्षणिक रूप से पिछड़े आठ खण्डों में प्रारम्भिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को भी कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रदेश में शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि सभी क्षेत्रों एवं समाज के सभी वर्गों के लिए उसकी समान पहुंच को सुनिश्चित बनाया जा सके। कुल योजना आबंटन तथा शैक्षणिक संस्थानों के नेटवर्क की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। वर्ष 2007 से 12 की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा क्षेत्र के लिए 14 हज़ार करोड़ रुपये का कुल योजना आबंटन किया गया है जिसमें से उच्च

शिक्षा के लिए 615.15 करोड़ रुपये आबंटित किए गये हैं। मेरी सरकार प्रदेश के लोगों की बेहतर शैक्षणिक अवसर प्रदान करती रहेगी।

17. मेधावी तथा कमज़ोर वर्गों के विद्यार्थियों सहित विभिन्न श्रेणियों के अनेक विद्यार्थियों को लाभान्वित करने के लिए इस समय प्रदेश में 14 छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई जा रही हैं तथा वर्ष 2009–10 के दौरान इन पर लगभग 10 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आई.आर.डी.पी. वर्गो के छठी से दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान कर रही हैं। वर्ष 2009–10 के दौरान इस पर 8.85 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं जिससे नौंवीं तथा दसवीं कक्षा के 1 लाख 18 हजार 166 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। कालेज प्रवक्ताओं के 634 पद, स्कूल प्रवक्ताओं के 1140 पद तथा सहायक लाईब्रेरियन के 82 पद सीधी भर्ती द्वारा, भूतपूर्व सैनिक कोटे के अन्तर्गत स्कूल प्रवक्ताओं के 185 पद सैनिक कल्याण विभाग के माध्यम से भरने की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा प्रधानाचार्यों के 16 पद पदोन्नति द्वारा तथा कालेज केडर के प्रधानाचार्यों के पांच पद सीधी भर्ती द्वारा, 218 प्रवक्ताओं (कालेज केडर), 302 प्रिंसीपल (स्कूल केडर) तथा मुख्य अध्यापकों के 862 पद भरे गए हैं।

18. प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित किया जा रहा हैं। आज तकनीकी शिक्षा प्रणाली के सत्त विकास के लिए ऐसी सशक्त तकनीकी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है जिसमें श्रेष्ठता, प्रासंगिकता एवं सहभागिता केन्द्र बिन्दु हों और यह प्रणाली रोज़गार अवसरों की वैश्विक उपलब्धता एवं राज्य आर्थिकी की वृद्धि के प्रति समर्पित एवं लक्षित हो। सरकारी क्षेत्र में आगामी शैक्षणिक सत्र से हमीरपुर में एक तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। **'दक्षता विकास के लिए समन्वयिक कार्य के अन्तर्गत सब मिशन ऑफ**

पॉलीटेक्नीक' योजना के अन्तर्गत बिलासपुर, कुल्लू, सिरमौर, किन्नौर तथा लाहौल–स्पीति ज़िलों में पांच नए पॉलीटेक्नीक खोलने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया है जिसमें प्रत्येक पॉलीटेक्नीक के लिए एक मुश्त 12.3 करोड़ रुपये के केन्द्रीय अनुदान का प्रावधान है। प्रदेश की तीन आई.टी.आई को डोमेस्टिक वित्तपोषण योजना के तहत अपग्रेड किया गया है तथा प्रदेश की 11 आई.टी.आई. को विश्व बैंक की सहायता से **'सेंटर आफ एक्सीलेंस'** के रूप में विकसित किया गया है।

19. मेरी सरकार प्रदेश के लोगों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध है। प्रदेश के स्वास्थ्य सूचक राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। इन्दिरा गांधी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल शिमला में एम.बी.बी.एस. की सीटों को 65 से बढ़ाकर 100 तथा पोस्टग्रेजुएट सीटों को 39 से बढ़ाकर 62 किया गया है। पोस्टग्रेजुएट में 21 अतिरिक्त सीटें जोड़ने का प्रस्ताव भारत सरकार के पास लम्बित है। प्रदेश सरकार ने डा. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कालेज टांडा में नर्सिंग शिक्षा में 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' स्थापित करने का निर्णय लिया है। डा. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कालेज टांडा को प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना–प्प के अन्तर्गत अपग्रेड करने के लिए चयनित किया गया है जिसके लिए भारत सरकार 125 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी तथा प्रदेश सरकार 25 करोड़ रुपये का योगदान देगी। प्रदेश में मेडिकल कालेज स्थापित करने के लिए छः आवेदकों को 'लैटर ऑफ इंटेंट' जारी किए गए हैं।

20. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 254 चिकित्सा अधिकारियों तथा 605 नर्सों की नियुक्ति की गई है तथा उन्हें प्रदेश के दूर–दराज एवं कठिन क्षेत्रों में तैनात किया गया है। प्रदेश सरकार ने 568 संस्थानों में (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक) रोगी कल्याण समितियों का गठन

किया है ताकि स्वास्थ्य सेवाओं का विकेन्द्रीकृत रूप में कारगर प्रबन्धन किया जा सके। प्रदेश सरकार ने प्रदेश में आपातकाल के समय तथा रेफरल परिवहन के लिए सभी उपकरणों से लैस 100 एम्बुलेंस उपलब्ध करवाकर राज्य में ऐमरजैंसी मेडिकल रिस्पोंस सिस्टम की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को प्रदेश के दो जिलों में कार्यान्वित किया गया है जिसके अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवारों को 80,242 स्मार्ट कार्ड जारी किये गए हैं ।

21. भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपेथी विभाग द्वारा भी प्रदेश में 25 आयुर्वेदिक अस्पतालों, 1109 आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 14 होम्योपैथी केन्द्रों, 3 यूनानी केन्द्रों, 4 आमची एवं एक नेचर केयर इकाई के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं । आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के 85 पद भरे गए हैं तथा 300 आयुर्वेदिक फार्मासिस्टों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। अनीमिया मुक्त हिमाचल कार्याक्रम को प्रदेश के दो जिलों में कार्यान्वित किया गया तथा अनीमिया की जांच के लिए रक्त के 8 लाख 98 हजार 491 नमूने लिए गए। योग तथा आयुर्वेद आधारित स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सोलन ज़िले की कंडाघाट तहसील के मौज़ा–कहलोग में 96.02 बीघा भूमि औषधीय पौधों तथा जड़ी–बुटी उगाने के लिए पतंजलि योग पीठ, हरिद्वार को उपलब्ध करवाई गई जो प्रदेश को हर्बल राज्य बननें में सहयोग देगा । पतंजलि योग पीठ के साथ औषधीय पौधों की खरीद के लिए समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रदेश में औषधीय पौध क्षेत्र के विकास के लिए 7.56 करोड़ रुपये की कार्य योजना राष्ट्रीय औषधीय पौध बोर्ड, भारत सरकार को प्रेषित की गई है।

22. स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना तथा सिंचाई सुविधाओं का विस्तार सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश के सभी जनगणना गावों को पेयजल सुविधा प्रदान कर दी गई है तथा अब प्रदेश की सभी बस्तियों को पेयजल सुविधा प्रदान

करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान निर्धारित 5 हज़ार बस्तियों को पेयजल सुविधाएं प्रदान करने के लक्ष्य के प्रति 3854 बस्तियों को यह सुविधा प्रदान कर दी गई है। प्रदेश के विभिन्न भागों में 1591 हैंडपम्प स्थापित किए गए हैं। धर्मशाला तथा सुन्दरनगर की पेयजल आपूर्ति योजनाओं का संवर्द्धधन कार्य तथा कोटखाई एवं सुन्नी की मल निकासी योजनाओं को इसी वित्त वर्ष के दौरान पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

23. बेहतर कर–प्रशासन तथा मौजूदा कानूनों के कारगर अनुपालन पर विशेष बल दिया जा रहा है। व्यापारी कल्याण परिषद स्थापित की गई है। वेट कम्प्यूटरीकरण परियोजना पर कार्य आरम्भ किया गया है जिसके वर्तमान वर्ष के दौरान आरम्भ हो जाने की सम्भावना है।

24. मेरी सरकार पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के प्रति कटिबद्ध है। पंचायत घर के निर्माण लागत के मानकों को दो लाख रुपये से बढ़ाकर 3.40 लाख रुपये किया गया है तथा 238 नए पंचायत घरों के निर्माण के लिए 499.80 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। 730 पंचायत घरों को अपग्रेड करने पर 730 लाख रुपये खर्च किये जा रहे हैं। गत दो वर्षों के दौरान पंचायती राज संस्थाओं के 21,238 निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 106.76 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। शेष बची 873 ग्राम पंचायतों में कम्प्यूटर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं ताकि प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटर उपलब्ध हो सके।

25. मेरी सरकार द्वारा निर्धन बेघर लोगों को आवास सुविधा प्रदान करने के लिए विभिन्न आवास योजनाएं शुरू की गई हैं। इन्दिरा आवास योजना के तहत 8212 नए घरों के निर्माण के लक्ष्य के प्रति 1768.68 लाख रूपये की लागत से

4222 घरों का निर्माण किया गया है। '**अटल आवास योजना**' के तहत 5175 नए घरों के लक्ष्य के प्रति 2314 घरों का निर्माण किया गया है जिन पर 1196.18 लाख रूपये व्यय किये गये तथा सभी निर्मित घर लाभान्वितों को स्वीकृत किये जा चुके हैं।

26. ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन परिवारों को स्व–रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से **'स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व–रोजगार योजना'** चलाई जा रही है। प्रदेश के 10 जिलों में ग्रामीण स्व–रोजगार प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये जा रहे हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को जिलों के अग्रणी बैंकों के सहयोग से प्रशिक्षण सुविधा प्रदान की जा सके। **'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम'** (मनरेगा) के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को वर्ष में कम से कम 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार प्रदान किया जा रहा है। वर्ष 2009–10 के दौरान दिसम्बर, 2009 तक **'राज्य रोजगार गारंटी निधि'** में 331.78 करोड़ रूपये केन्द्रीय हिस्से तथा 26 करोड़ रूपये राज्य हिस्से के रूप में जमा किये गये हैं। दिसम्बर, 2009 तक 352.68 करोड़ रूपये की धनराशि का उपयोग सुनिश्चित किया गया है। राज्य में 180 लाख श्रम दिवसों का सृजन कर 3 लाख 93 हजार 83 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है।

27. प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में '**जलागम विकास कार्यक्रम**' को सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान दिसम्बर 2009 तक विभिन्न जलागम विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा 325.51 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। भारत सरकार द्वारा प्रदेश के सभी जिलों के लिए कुल 305.75 करोड़ रूपये लागत की 36 नई परियोजनाएं स्वीकृत की हैं जिसके तहत राज्य के वर्षा पर आधारित क्षेत्रों में 4 से 7 वर्षों की अवधि में 2 लाख 3 हजार 832 हैक्टेयर क्षेत्र का उपचार किया जायेगा।

28. **'महात्ऋषि बाल्मीकि सम्पूर्ण स्वच्छता पुरस्कार योजना'** के तहत राज्य की स्वच्छतम ग्राम पंचायतों को इस वर्ष 144 लाख रूपये पुरस्कार राशि के रूप में जारी किये गये हैं। **'महिला मण्डल प्रोत्साहन योजना'** के तहत गांवों, वार्डों तथा ग्राम पंचायतों को खुले में शौच मुक्त बनाने की दिशा में श्रेष्ठ कार्य करने वाले महिला मण्डलों को 95.50 लाख रूपये की राशि जारी की जा रही है। मेरी सरकार ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए **'स्कूल स्वच्छता पुरस्कार योजना'** आरम्भ की है, जिसके तहत स्वच्छतम प्राथमिक तथा मिडल स्कूलों को पुरस्कृत किया जायेगा। योजना के तहत वर्ष 2009–10 के लिए 62 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। भारत सरकार द्वारा राज्य की 253 ग्राम पंचायतों को **'निर्मल ग्राम पुरस्कार'** से सम्मानित किया गया है जबकि गत वर्ष 245 पंचायतों को सम्मानित किया गया था। 31 दिसम्बर, 2009 तक प्रदेश की कुल 3243 ग्राम पंचायतों में से 2097 ग्राम पंचायतों (64 प्रतिशत) को 'खुले में शौच' से मुक्त घोषित किया गया है।

29. प्रदेश सरकार राज्य में पर्यावरण मित्र एवं सत्त औद्योगीकरण पर विशेष ध्यान केन्द्रित कर रही है। प्रदेश के लिए 7 जनवरी, 2003 से स्वीकृत विशेष औद्योगिक पैकेज के परिणामस्वरूप नवम्बर, 2009 तक प्रदेश में 995 मध्यम / बड़ी इकाइयां, 11654 लघु औद्योगिक इकाइयां स्वीकृत हुई जिसमें कुल 37,717.32 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है तथा इनमें 4 लाख 43 हजार 159 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए। सरकार इस पैकेज को मार्च 2020 तक बढ़ाने के लिए कारगर प्रयास कर रही है तथा इस मामले को भारत सरकार के साथ विभिन्न स्तरों पर उठाया गया है। प्रदेश सरकार के सत्त प्रयासों के परिणामस्वरूप केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने भी इस औद्योगिक पैकेज को मार्च 2013 तक बढ़ाने की सिफारिश की है। आवासीय अधोसरंचना के सृजन तथा

बद्दी में व्यापार केन्द्र की स्थापना पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। बद्दी–बरोटीवाला–नालागढ़ के साथ परवाणू को भी 'सिटी गैस वितरण प्रणाली' में शामिल करने का प्रस्ताव है।

30. सरकारी विभागों द्वारा जन–सेवाएं प्रदान करने के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करने के हर सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रणाली में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित बनाने के लिए प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है। सभी सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों के कारगर कार्यान्वयन हेतु पहली बार सरकार ने राज्य प्रशिक्षण नीति 2009 तैयार की है। सरकार ने ऐसे कर्मचारियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना शुरू की है जिन्होंने सार्वजनिक सेवाओं में उच्च मापदण्ड स्थापित किए हैं।

31. मेरी सरकार राज्य में बेहतर रूप से सुव्यवस्थित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उचित मूल्यों पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित बना रही है। वित्त वर्ष 2009–10 के दौरान 31 दिसम्बर, 2009 तक प्रदेश के 15 लाख 79 हजार 330 राशनकार्ड धारकों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 3 लाख 15 हजार 814 मीट्रिक टन खाद्यान्न आपूर्ति की है। खाद्य पदार्थों के मूल्य में वृद्धि से उपभोक्ताओं को राहत दिलाने के उद्देश्य से राज्य उपदान योजना चलाई जा रही है तथा सभी राशनकार्ड धारकों को 3 दालों तक, दो खाद्यान्न तेल तथा नमक उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान अपने संसाधनों से ही 110 करोड़ रुपये का उपदान प्रदान किया गया है। जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी को रोकने के लिए नियमित रूप से नमूने लिये जा रहे हैं तथा निरीक्षण किए जा रहे हैं। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 16,065 निरीक्षण किए गए और 3 लाख 8 हजार 535 बट्टों को सत्यापित किया गया।

32. मेरी सरकार स्वतंत्रता सैनानियों तथा उनके परिवारजनों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है। प्रदेश में 172 स्वतंत्रता सैनानियों को मु. 2000 रूपये प्रतिमाह से 4000 रुपये की दर से सम्मान राशि तथा 819 विधवाओं तथा दिवंगत स्वतंत्रता सैनानियों की अविवाहित 10 कन्याओं को 3000 रुपये की दर से सम्मान राशि बढ़ाई गई है। सरकार ने स्वतंत्रता सैनानियों के आश्रितों को सरकारी / अर्धसरकारी सेवाओं में 2 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया है।

33. प्रदेश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों का नियोजित एवं योजनाबद्ध विकास मेरी सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता रही है। नियोजित एवं विशेष क्षेत्रों में आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को राहत दिलाने की दृष्टि से सरकार ने इन क्षेत्रों के निवासियों को आवासीय तथा अन्य सम्बद्ध गतिविधियों के लिए कुछ सीमा तक छूट दी है। वाकनाघाट, धर्मशाला का अतिरिक्त क्षेत्र तथा परवाणू नियोजित क्षेत्र की विकास योजना पर कार्य आरम्भ किया गया है और मणीकर्ण, नेरचौक तथा नग्गर विशेष क्षेत्र विकास योजना पर भी कार्य आरम्भ किया गया है। प्रदेश के सर्वांगीण विकास परिदृश्य को बदलने के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश नगर एवं नियोजन विधेयक को तैयार कर लिया गया है ताकि इससे वर्ष 1977 के अधिनियम को बदला जा सके।

34. मेरी सरकार विभिन्न गतिविधियों तथा योजनाओं के माध्यम से प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं प्रोत्साहन के प्रति वचनबद्ध है। ऐतिहासिक गेयटी थियेटर का जीर्णोद्धार कार्य पूरा कर इसे सांस्कृतिक एवं रंग–मंच गतिविधियों के लिए खोल दिया गया है।

35. प्रदेश में सामाजिक न्याय के साथ–साथ आर्थिक विकास को सुनिश्चित बनाने के लिए सहकारिता को एक आन्दोलन के रूप में प्रोत्साहित किया जा रहा है। 'ऋण माफी व ऋण राहत योजना 2008' के तहत राज्य में सहकारी

ऋण ढांचे के माध्यम से लगभग 1 लाख 27 हजार 190 किसानों को 211.50 करोड़ रूपये के लाभ प्रदान किये गये। राज्य के सहकारी बैकों में 8524.50 करोड़ रूपये की जमा राशि तथा 78.58 करोड रूपये के लाभांश के साथ 3119.73 करोड़ रूपये की ऋण क्षमता (लैन्डिग पोर्टफोलियो) उपलब्ध है। सहकारी बैकों के माध्यम से किसानों को राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित **'पण्डित दीनदयाल किसान–बागवान समृद्धि योजना'** तथा **'दूध गंगा योजना'** जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।

36. प्रदेश में श्रमिकों व कामगारों के कल्याण के लिए बनाए गए नियमों को कड़ाई से लागू किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 93 प्रतिशत कामगर गैर–संगठित क्षेत्र में कार्यरत है जो प्रदेश की भवन व अन्य निर्माण गतिविधियों में संलग्न श्रमिक संख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिक (रोजगार व सेवा शर्तें विनियमन) नियम–2008 को तैयार कर लागू किया जा रहा है। प्रदेश में 2 लाख 9 हजार 711 श्रमिकों को पहचान पत्र जारी किये जा चुके हैं तथा यह प्रक्रिया भविष्य में भी जारी रहेगी ।

37. शहरी क्षेत्रों के योजनाबद्ध विकास को सुनिश्चित बनाने के लिए वर्ष 2009–10 के दौरान 49 स्थानीय शहरी निकायों को तृतीय राज्य वित्त आयोग के आवार्ड के अनुसार 41.77 करोड़ रूपये की ग्रांट उपलब्ध करवाई गई है। इसके अतिरिक्त इन स्थानीय शहरी निकायों की परिधि के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में 1000 किलोमीटर सड़कों, गलियों तथा पैदल रास्तों के रख–रखाव के लिए भी 6 करोड़ रुपये की विशेष ग्रांट प्रदान की गई है। शिमला नगर के शहरी क्षेत्रों में रह रहे गरीब लोगों को बेहतर शासन, अधोसंरचना, नागरिक सेवाओं तथा मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए महत्वाकांक्षी **'जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन'** को आरम्भ किया गया है। मिशन के तहत 12925.61 लाख

रूपये की लागत वाली 6 परियोजनाओं / योजनाओं को अनुमोदित किया गया है जिनका कार्य प्रगति पर है। सरकार मलिन बस्तियों में पर्याप्त आवास सुविधा सहित मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए समन्वित आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम के तहत आवास सुविधा उपलब्ध करवा रही है। इस कार्यक्रम के तहत भारत सरकार द्वारा 5533.89 लाख रूपये की लागत से हमीरपुर, धर्मशाला, सोलन, नालागढ़, बद्दी तथा परवाणू नगरों के लिए 6 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। शहरी मलिन बस्तियों में स्वच्छता सुनिश्चित बनाकर इन्हें रहने योग्य बनाने के लिए सभी स्थानीय निकायों के लिए 244 लाख रूपये की धनराशि उपलब्ध करवाई गई है जिससे राज्य के 3300 मलिन बस्ती परिवार लाभान्वित हुए हैं।

38. मेरी सरकार प्रदेश में प्रभावी राजस्व प्रशासन सुनिश्चित कर रही है तथा सभी राजस्व मामलों को शीघ्रता से निपटाया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने **'हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम–1954'** (1954 के अधिनियम संख्या 6) में संशोधन किया है। लोगों के तकसीम सम्बन्धी मामलों को शीघ्र निपटा कर आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए नायब तहसीलदारों को तकसीम सम्बन्धी मामलों की सुनवाई तथा निर्णय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। राष्ट्रीय भू–रिकार्ड के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत प्रदेश के हमीरपुर, मण्डी तथा सिरमौर जिलों को चयनित किया गया है जहां भू –रिकार्ड का कम्प्यूटरीकरण तथा मैप सर्वे व बन्दोबस्त के डिज़िटाईजेशन का कार्य आधुनिक तकनीक से किया जा रहा है ।

39. प्रदेश को रबी फसल 2008–09 तथा खरीफ फसल 2009 के दौरान भारी सूखे का सामना करना पड़ा। प्रदेश सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए अनेक कारगर कदम उठाये हैं। सरकार ने इसके लिए 5067 लाख रूपये की राशि जारी की है जिसमें से 779 लाख रूपये पेयजल, 271 लाख रूपये पशु चारा

सब्सिडी, 1417 लाख रूपये हैंड पम्प स्थापित करने, 925 लाख रूपये कृषि आदानों पर सब्सिडी तथा 1500 लाख रूपये सिचाईं एवं जन स्वास्थ्य विभाग को जारी किये गये हैं। प्रदेश सरकार ने एन.सी.सी.एफ. के अन्तर्गत 608.13 करोड़ रूपये जारी करने के लिए भारत सरकार को एक विस्तृत ज्ञापन भी सौंपा है। भारत सरकार द्वारा 88.00 करोड़ रूपये स्वीकृत किये हैं जिसमें से 14.48 करोड़ रूपये अभी हाल ही में राज्य को जारी किये जा चुके हैं। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों की बढ़ती प्रवृत्ति के प्रति प्रदेश सरकार चिन्तित है। ऐसे अवैध कब्जों को समयबद्ध तरीके से निपटाकर इस प्रवृति पर रोक लगाने के लिए विधानसभा के गत मानसून सत्र के दौरान **'हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम'** में संशोधन किया गया है।

40. प्रदेश में सीमेंट तथा जल विद्युत परियोजनाओं जैसे मैगा प्रोजैक्टों की स्थापना से स्थानीय लोगों को विस्थापित होना पड़ता है। प्रदेश सरकार विस्थापितों के कल्याण से जुड़े सभी मामलों के प्रति संवेदनशील है तथा सरकार का प्रयास है कि विस्थापितों के पुनर्वास व कल्याण को सुनिश्चित बनाने के लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर उनके हितों का ध्यान रखा जाये। सरकार ने जल विद्युत तथा सीमेंट परियोजनाओं के विस्थापितों के लिए राष्ट्रीय पुनर्वास नीति पर आधारित एक आदर्श पुनर्वास योजना तैयार की है ।

41. हिमाचल प्रदेश में सड़कें यातायात का मुख्य साधन है तथा रेल नेटवर्क जैसे अन्य यातायात के साधन न के बराबर है। प्रदेश सरकार ने प्रदेश में लोगों को बेहतर एवं सुरक्षित परिवहन सेवायें उपलब्ध करवाने के लिए परिवहन नीति तैयार की है। राज्य में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने हाल ही में उप मण्डल स्तर पर सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारियों की अध्यक्षता में समितियों का गठन किया है जो सड़क दुर्घटनाओं के कारणों का गहन अध्ययन कर सुधारात्मक सुझावों के बारे में अपनी सिफारिशें देंगी जिससे

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने वाहन चालकों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण अवधि को 30 दिन से बढ़ाकर 60 दिन किया है। यात्रियों को बेहतर यातायात सुविधाएं प्रदान करने के लिए 'जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन' के तहत शिमला नगर के लिए 75 नई बसें उपलब्ध करवाई गई हैं ।

42. मेरी सरकार ने राज्य के भूतपूर्व सैनिकों, सेवारत सैनिकों, युद्ध विधवाओं तथा उनके आश्रितों के कल्याण के लिए अलग से सैनिक कल्याण विभाग का सृजन किया है। इस वित्त वर्ष के दौरान राज्य में हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के माध्यम से 65 भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया। भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को छठी कक्षा से ग्रेजुऐशन स्तर तक तथा व्यवसायिक कालेजों में विभिन्न कोर्सों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को स्व–रोजगार इकाइयां स्थापित करने के लिए ऋण उपदान व अनुदान प्रदान किया जा रहा है। निगम ने विभिन्न बैकों के माध्यम से स्व–रोजगार कार्यक्रमों के तहत 31 दिसम्बर, 2009 तक भूतपूर्व सैनिकों को 71.36 लाख रूपये वितरित किये हैं। निगम ने राज्य की विभिन्न औद्योगिक तथा सार्वजनिक इकाइयों में 1837 भूतपूर्व सैनिकों को सुरक्षा कर्मियों के रूप में रोजगार दिया है।

43. मेरी सरकार प्रदेश की बहुमूल्य वन सम्पदा के संरक्षण को सुनिश्चित बनाकर इसे और समृद्ध बनाने की दिशा में कारगर कदम उठा रही है। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाकर हिमाचल प्रदेश को एक कार्बन न्यूट्रल राज्य बनाया जाये। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए **'मध्य हिमालय जलागम विकास'** के तहत **'बायो–कार्बन उप योजना'** तैयार की गई है। प्रदेश सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप हकधारकों के टी.डी.

अधिकारों को बहाल करने में सहायता मिली है। सरकार के निरन्तर प्रयासों से निजी भूमि पर पेड़ों के कटान पर लगे पूर्ण प्रतिबन्ध को हटाया गया है। मेरी सरकार ने बिलासपुर जिले में खड़यातर भूमि पर खड़े पेड़ों के अधिकार स्थानीय लोगों को सौंप कर लगभग 56,000 गांववासियों को लाभान्वित किया है। प्रदेश सरकार के सतत् प्रयासों से निजी भूमि पर उगे खैर के कटान पर लगे प्रतिबन्ध को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हटा दिया गया है जिस से बडी संख्या में प्रदेश के लोग लाभान्वित हुए हैं। प्रदेश में तीन वानर बन्ध्यीकरण केन्द्र स्थपित किए गए है तथा इन केन्द्रों में 15,100 वानरों का बन्ध्यीकरण किया गया है ताकि वानरों के उत्पात को कम किया जा सके। प्रदेश में वन्य जीव अभ्यरणों व इसके आसपास के क्षेत्रों के वासियों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने के लिए सैंक्चुरीज़ की युक्तिकरण प्रक्रिया आरम्भ की गई है जिससे राज्य के वन्य जीव संरक्षित क्षेत्रों से 775 गांवों को बाहर कर 1.14 लाख लोगों को राहत मिलेगी।

44. प्रदेश सरकार हिमाचल में स्वच्छ पर्यावरण संरक्षण बनाए रखने के प्रति वचनबद्ध है और इस दिशा में अनेक कारगर कदम उठाये गये हैं। राज्य के लिए **'इन्वायरनमैंट मास्टर प्लान'** तैयार किया जा रहा है। ठोस कचरा तथा पॉलीथीन की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने पॉलीथीन थैलों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया है तथा इस सम्बन्ध में ज़ीरो टोलरेन्स की नीति को अपनाया है। राज्य में 5 जून, 2009 को 'समुदाय आधारित मूल्यांकन, जागरूकता, समर्थन तथा कार्य योजना कार्यक्रम' का शुभारम्भ किया गया। इस कार्यक्रम को 3 वर्ष की अवधि के दौरान प्रदेश भर में गैर सरकारी संगठनों, स्कूलों, इको क्लब्ज़, महिला मण्डलों तथा पंचायत स्तरीय इकाइयों के नेटवर्क के माध्यम से संचालित किया जायेगा। प्रदेश में स्वैच्छिक प्रयासों के जरिये पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित बनाने के उद्देश्य से **'हिमाचल प्रदेश पर्यावरण निधि'** का सृजन किया गया है। इस निधि

में अब तक 33 लाख रूपये जमा किये जा चुके हैं। वैश्विक उष्मीकरण से ग्लेशियर पिघलने तथा जलवायु परिवर्तन जैसे ज्वलंत मुद्दों के प्रति हिमालयी राज्यों का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से शिमला में इन राज्यों के मुख्यमन्त्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन के दौरान मुख्यमन्त्रियों द्वारा '**शिमला घोषणा पत्र**' जारी किया गया जिसमें हिमालयी क्षेत्र के पर्यावरण को बनाए रखने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया है।

45. मेरी सरकार प्रदेश के कर्मचारियों के कल्याण सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबद्ध है। सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान तथा पैंशन भोगियों को संशोधित पैंशन प्रदान कर लाभान्वित किया है। पूर्ण पैंशन लाभ के लिए अब 33 साल की अनिवार्य सेवा (क्वॉलीफाइंग सर्विस) को कम कर 20 साल किया गया है। राज्य सरकार के सभी विभागों, बोर्डो, निगमों तथा विश्वविद्यालयों के नियमित, तदर्थ, अनुबन्ध, अंशकालीन और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए 'व्यक्तिगत समूह दुर्घटना बीमा योजना' लागू की गई है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को मात्र 50 रूपये का वार्षिक प्रीमियम अदा करने पर 2 लाख रुपये का बीमा लाभ प्रदान किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने 31 मार्च, 2009 तक 10 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले चतुर्थ श्रेणी अंशकालिकों को दिहाड़ीदारों के रूप में परिवर्तित किया है तथा 31 मार्च, 2009 तक आठ साल का सेवाकाल पूरा करने वाले दैनिक भोगी कर्मियों की सेवाओं को नियमित किया गया है।

46. लोगों के जीवन में सामाजिक एवम् आर्थिक परिवर्तन लाने में पर्यटन विकास महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है जिससे रोजगार एवं स्व–रोजगार के अवसर सृजित होने के साथ–साथ निवेश को भी बढ़ावा मिलता है। मेरी सरकार ने विभिन्न सर्कट तथा डैस्टिनेशन योजनाओं के तहत भारत सरकार से वर्ष 2009–10 के दौरान 2960 लाख रूपये की सहायता प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है।

हिमाचल प्रदेश में आतिथ्य सत्कार की समृद्ध परम्परा है। पर्यटकों को हिमाचल की समृद्ध संस्कृति व पारम्परिक खान–पान से रूबरू करवाने के उद्देश्य से मेरी सरकार ने **'होम स्टे योजना'** आरम्भ की है जिसके तहत राज्य में दिसम्बर, 2009 तक 182 होम स्टे इकाइयां पंजीकृत की गई हैं। प्रदेश में पर्यटन के सतत् विकास के लिए एक दूरगामी 20 वर्षीय 'टूरिस्ट मास्टर प्लान' तैयार किया जा रहा है ।

47. मेरी सरकार राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण के प्रति दृढ़संकल्प है ताकि राज्य पुलिस बल को अधिक कार्यकुशल, प्रभावी तथा लोकमित्र बनाया जा सके। प्रदेश के पुलिस थानों को सुदृढ़ बनाने, कम्यूनिटी पुलिसिंग, सतर्कता एवं आपराधिक जांच मशीनरी में सुधार लाने, पुलिस कर्मियों हेतु आवास सुविधा तथा प्रशिक्षण सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । केन्द्र सरकार ने राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु वर्ष 2009–10 के लिए 610 लाख रूपये आबंटित किए हैं जिसमें से अतिरिक्त वाहन एवं सुरक्षा उपकरणों के लिए 508 लाख रूपये जारी किये जा चुके हैं। भारत सरकार ने राज्य के लिए **'छठी इण्डिया रिजर्व बटालियन'** स्वीकृत की है जो सिरमौर जिला के कोलर में स्थापित की जायेगी। छठी इण्डिया रिजर्व बटालियन में कांस्टेबलों के 1309 पद तथा अन्य इण्डिया रिजर्व बटालियनो के शेष बचे पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इससे पुलिस बल की कार्य–कुशलता बढ़ेगी तथा राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। राज्य में विशेष औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे औद्योगिक सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने तथा औद्योगिक क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने में सहायता मिलेगी।

48. हिमाचल प्रदेश ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार साधनों के माध्यम से लोगों को बेहतर शासन प्रदान करने की दिशा में काफी प्रगति की है जिसकी

राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना हुई है। मेरी सरकार ने लोगों को ई–गर्वनेंस के माध्यम से बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य आरम्भ किये हैं जिनमें हिमस्वांन कोमन सर्विस सैन्टरज, एस.एम.एस.गेट–वे सेवा, स्टेट सर्विसिज डिलीवरी गेट–वे, स्टेट डाटा सैन्टर इत्यादि मुख्य रूप से शामिल हैं। विभागीय स्तर पर राजस्व कोर्ट मामलों की ऑन लाईन मॉनिटरिंग, पर्यटन विभाग में बसों तथा आवास की ऑन लाईन आरक्षण सुविधा और ऊना जिले में स्मार्ट कार्ड आधारित पैंशन वितरण प्रणाली पॉयलट प्रोजेक्ट जैसी अन्य कई और सेवायें आरम्भ की गई हैं। राज्य सरकार ने ई–गज़ट तथा हिमपोल (हिमाचल पुलिस ऑन लाईन) के लिए दो ई–गर्वनेंस पुरस्कार प्राप्त किये हैं। राज्य भर के 950 कार्यालयों को हिमस्वांन नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है। राज्य में लोगों को उनके घर–द्वार के निकट नागरिक सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए पंचायत स्तर पर 3366 लोकमित्र केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से बेहतर सेवाऐं प्रदान करने के लिए विभिन्न विभागों में एस.एम.एस. सुविधा शुरू की गई है जिसके तहत लोगों को उनके आवेदनों की स्थिति के बारे में एस.एम.एस. अलर्ट के माध्यम से सूचित किया जाता है ।

49. मेरी सरकार राज्य में उपलब्ध जल विद्युत क्षमता के समुचित दोहन के प्रति वचनबद्ध है। प्रदेश में उपलब्ध कुल 23 हजार मेगावाट जल विद्युत क्षमता में से 6480 मेगावाट क्षमता का केन्द्रीय, राज्य, संयुक्त तथा निजी क्षेत्र में दोहन किया जा चुका है। हमें आशा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 15000 मेगावाट जल विद्युत क्षमता का दोहन सुनिश्चित होगा। राज्यीय सार्वजनिक क्षेत्र में पर्याप्त क्षमता सृजन को सुनिश्चित बनाने के लिए 2070 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं को वर्ष 2009–10 के दौरान हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम तथा राज्य विद्युत परिषद को आबंटित किया गया है। स्थानीय क्षेत्रों के विकास के प्रति

कटिबद्धता को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार ने जल विद्युत परियोजनाओं से एक प्रतिशत अतिरिक्त ऊर्जा, परियोजना की सम्पूर्ण अवधि तक स्थानीय क्षेत्र विकास के लिए आवंटित की है। कैचमैन्ट क्षेत्रों के संरक्षण तथा जैव विविधता में सुधार के लिए स्थानीय समुदाय को 'कैट प्लान' का 10 प्रतिशत प्रदान किया जा रहा है।

50. मेरी सरकार आम आदमी के घर–द्वार पर स्वच्छ, पारदर्शी तथा कुशल प्रशासन प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध है। जन–शिकायतों का त्वरित निदान सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश में जन–शिकायत निवारण प्रक्रिया को सुदृढ़ किया गया है। सरकार के सभी विभागों में जन–शिकायतों के पंजीकरण एवं त्वरित निदान को ऑन लाईन करने हेतु वैब आधारित विशेष सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। लोगों की सुविधा के लिए **'प्रशासन जनता के द्वार'** कार्यक्रम आरम्भ किया गया है, जिसके तहत जिला तथा उपमण्डल स्तर के अधिकारियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आस–पास की 4–5 पंचायतों के सुविधाजनक केन्द्र स्थल पर जन–शिकायत निवारण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है ।

51. युवा विकास तथा खेल–कूद गतिविधियों को प्रोत्साहन देना मेरी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रदेश में निचले स्तर तक खेल–कूद गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनमें खेल मैदानों / स्टेडियमों का निर्माण, श्रेष्ठ खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार, उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 3 प्रतिशत आरक्षण तथा राज्य खेल संघों को उदार सहायतानुदान मुख्य रूप से शामिल है। सरकारी सेवा में खिलाडियों को आरक्षण सुविधा के तहत 197 खिलाड़ियों को रोजगार प्रदान किया गया है। नकद पुरस्कार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2009–10 के दौरान 97 खिलाड़ियों को 10.92 लाख रूपये के नकद पुरस्कार प्रदान किये

गये। **'पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान'** के अन्तर्गत इस वित्त वर्ष के दौरान 324 पंचायतों तथा 8 खण्डों को लाया गया है तथा इन पर 4.38 करोड़ रूपये की राशि व्यय की जा रही है। प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं को राष्ट्र निर्माण कार्यक्रमों में शामिल करने की ओर विशेष ध्यान दे रही है। राज्य में नोडल क्लब योजना, युवा नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम, युवा उत्सव, युवा कार्य शिविरों तथा युवा दिवस जैसी योजनाओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा एन.एस.एस. योजना के चलाने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई जा रही है। इस योजना के तहत वर्ष 2009–10 के दौरान स्कूलों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों के 71,500 विद्यार्थियों को शामिल कर 72 लाख रूपये व्यय किये जा चुके है। प्रदेश में स्टेडियमों/खेल अधोसंरचना को सुदृढ़ करने पर इस वर्ष 693.22 लाख रूपये व्यय किये गये तथा अनुसूचित जाति उप–योजना के तहत 200 खेल मैदानों का निर्माण किया जा रहा है। इस योजना के तहत प्रत्येक खेल मैदान पर एक–एक लाख रूपये खर्च किये जायेंगे। प्रदेश सरकार साहसिक खेलों को भी विशेष प्रोत्साहन दे रही है ।

52. मैनें इस वर्ष के दौरान सरकार की उपलब्धियों को संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है। सरकार का यह प्रयत्न रहेगा कि हिमाचल प्रदेश के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित बनाने के प्रयासों को भविष्य में भी जारी रखा जाये। इस कार्य के लिए हमें राज्य के हर नागरिक के सक्रिय सहयोग की आवश्यकता है ताकि शान्ति, खुशहाली, सामाजिक न्याय तथा विकास के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। हम सब को मिलकर यह चिन्तन करना होगा कि भविष्य में भी इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कैसे आगे बढ़ा जाये ताकि प्रदेशवासियों की सामाजिक एवम् आर्थिक परिस्थितियों को बेहतर बनाया जा सके। प्रकृति ने हमें अपार प्राकृतिक सम्पदा एवं अतुलनीय सौन्दर्य से नवाज़ा है तथा प्रदेश के बर्फ से

ढके ऊंचे पर्वत, समृद्ध वनस्पति एवं वन्य जीव–सम्पदा हिमाचल की समृद्ध धरोहर हैं। हम सब को मिलकर जन–कल्याण की बेहतरी के लिए प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को सुनिश्चित करना होगा। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से अपेक्षा करती हूँ कि वे सदन की कार्यवाही को सफल बनाने में अपना पूर्ण योगदान देंगे। सदन के माननीय सदस्यों के सकारात्मक योगदान के मध्यनजर मुझे पूर्ण आशा है कि मेरी सरकार प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने तथा लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का भरसक प्रयास करेगी ताकि हिमाचल प्रदेश को अग्रणी पहाड़ी राज्य ही नहीं बल्कि देश का एक आदर्श राज्य बनाया जा सके। **'सबसे ऊपर हिमाचल'**

जय हिन्द, जय हिमाचल!